[2020] 13 एस. सी. आर. 517

नेशनल को-ऑपरेटिव

विकास निगम

वी.

आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

(सिविल अपील सं। 5105-5107 2009)

11 सितंबर, 2020

[संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - धारा 37 (1)-अपीलार्थी की कर योग्य आय

निगम-प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज धारा 13 (1), 1962

अधिनियम और राष्ट्रीय/राज्य स्तर की सहकारी समितियों को अनुदान के माध्यम से वितरित-यदि कटौती के लिए पात्र हैं-द्वारा अनुमत नहीं है

निर्धारण अधिकारी (ए. ओ.)-सी. आई. टी. (अपील) ने निगम को कटौती का हकदार ठहराया-आई. टी. ए. टी. द्वारा रद्द किया गया आदेश-उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया

राजस्व का पक्ष-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यदि कोई निर्धारिती व्यवसाय करता है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई परिव्यय है।

व्यवसाय के उद्देश्य के लिए एक व्यय का गठन करता है जैसा कि में उपयोग किया जाता है

एस. 37 (1) - अनुदान का वितरण इसका मुख्य व्यवसाय है।

अपीलार्थी-निगम-एक बार उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद, व्यवसाय के दौरान और उद्देश्य के लिए किया गया व्यय

व्यवसाय की ', स्वाभाविक रूप से एक स्वीकार्य कटौती होगी यू / धारा 37 (1) धन का वह स्रोत जिससे व्यय किया जाता है, प्रासंगिक नहीं है-यह भी प्रासंगिक नहीं है कि व्यय किया गया है या नहीं।

13 (1) , (2) — वित्त अधिनियम, 2003 - धारा 36 (1) (xii), वित्त अधिनियम, 2001 वित्त अधिनियम, 2002। आयकर अधिनियम, 1961-एस. 14 , 28 , 56 , 57- आयोजित किया गयाः धारा 56 अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, अर्थात, यदि प्रत्येक प्रकार की आय

जिसे आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, इस शीर्ष के तहत प्रभार्य होगा यदि यह यू/के तहत प्रभार्य नहीं है। एस. 14 हेड

' ए 'से' ई '।

सिद्धांत/सिद्धांत-शीर्षक को ओवरराइड करके डायवर्जन का सिद्धांत-जब लागू नहीं होता है-चर्चा-आय कर अधिनियम, 1961

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962।

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय कर अधिनियम, 1961-आय का निर्धारण-आयोजितः आई. टी. अधिनियम की योजना में लेखांकन के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर 'वास्तविक आय' के निर्धारण की आवश्यकता होती है - वास्तविक आय का निर्धारण करने के लिए अनुमेय खर्चों की आवश्यकता होती है

आयकर वास्तविक आय पर लगाया जाने वाला कर है।

सरकारी मुकदमाः

सरकार और उसके निकायों में वृद्धि-बाधाओं और समाधान-पर चर्चा की गई।

कराधान के मामले-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित

उद्यम (सी. पी. एस. ई.) और सरकारी प्राधिकरण-अग्रिम कर व्यवस्था-भारतीय परिदृश्य बनाम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

चर्चा की।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थी-निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी।

(एन. सी. डी. सी. अधिनियम) अपीलार्थी-निगम के कार्य एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण या सब्सिडी प्रदान करना है। सहकारी समितियाँ; राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ-साथ राज्य स्तर की सहकारी समितियों को भी सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करती हैं, जो राज्य सरकारों की गारंटी पर होती हैं। अपीलार्थी-निगम के लिए वित्त पोषण प्रक्रिया एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 12 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण के माध्यम से निर्धारित की गई है। अपीलार्थी

निगम को राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष (संक्षेप में 'कोष') नामक एक निधि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्राप्त सभी धन के साथ-साथ धन की राशि के साथ जमा होती है।

जो समय-समय पर निधि से किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज या लाभांश या निधि से किए गए निवेशों पर अन्य प्राप्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए, जब भी अधिशेष निधि जमा होती है, अपीलार्थी-निगम ने समय-समय पर निष्क्रिय निधियों को सावधि जमा में निवेश किया, जिससे आय उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम के माध्यम से आय v. आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

राज्य सरकारों/शीर्ष सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋणपत्रों और ऋणों पर ब्याज इस खाते में जमा किया जाता है। भले ही अपीलार्थी-निगम एक है

आई. जहां तक केंद्र सरकार से प्राप्त धन का संबंध है, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है और इसलिए ये कर के लिए प्रभार्य नहीं हैं। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। ii. ब्याज घटक के संबंध में, इसे कर योग्य आय के रूप में माना जाता है और तार्किक रूप से "व्यावसायिक आय" के रूप में कर लगाया जाता है।

धारा 13 (1) के तहत, और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी समितियों को "अनुदान" के माध्यम से वितरित, अपीलार्थी-निगम की "कर योग्य आय" निर्धारित करने के लिए कटौती के लिए पात्र है। यह पहले की लेखांकन प्रथा के विपरीत था और मूल्यांकन वर्ष 1976-77 के लिए पहली बार उत्पन्न हुआ। [पैरा 2-4] [528 एफ-जी; 529-ए-सी; 530-सी-जी] 1.2 पहला पहलू यह है कि क्या ऋण या लाभांश पर ब्याज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत आएगा या क्या यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' से आय के बराबर होगा। आई. टी. अधिनियम की धारा 28 के अनुसार किसी भी व्यवसाय या पेशे के ऐसे लाभ और लाभ

निर्धारिती द्वारा किसी भी समय किया जाने वाला व्यवसाय या पेशा पिछले वर्ष के दौरान [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 28 का खंड (i)]। आई. टी. अधिनियम की धारा 56 अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, अर्थात,

यदि प्रत्येक प्रकार की आय जिसे आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं रखा जाना है, इस शीर्ष के तहत प्रभार्य होगी यदि यह धारा 14 शीर्ष 'ए' से 'ई' के तहत प्रभार्य नहीं है। उपरोक्त पहलू एओ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के तर्क का हिस्सा नहीं था, लेकिन सी. आई. टी. (ए) ने राय दी कि अपीलार्थी-निगम द्वारा दिए गए अनुदान निर्विवाद रूप से इसके अधिकृत दायरे में आते हैं।

व्यावसायिक गतिविधियाँ और इस प्रकार, यहाँ तक कि [2020] 13 एस. सी. आर. से अनुदान की अग्रिम राशि भी।

ब्याज आय एक राजस्व व्यय होगा क्योंकि यह नहीं था

इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी निगम द्वारा पूंजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया गया और इस प्रकार, आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत समायोजन योग्य होगा। आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (ए) के आदेश को उलटते हुए, इस पहलू पर विचार नहीं करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के विवादित फैसले ने एक बार फिर इस पहलू पर जोर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्याज आय आई. टी. अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत आएगी और आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के तहत नहीं आएगी। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से सहमत है, क्योंकि अपीलार्थी-निगम का एकमात्र कार्य धन प्राप्त करना और फिर उन्हें ऋण या अनुदान के रूप में आगे बढ़ाना है। ब्याज आय इस प्रकार प्राप्त निधि के कारण उत्पन्न हुई और हो सकता है कि इसका उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए नहीं किया गया हो, जिसे सावधि जमा में रखा जा रहा हो ताकि राशि बेकार न पड़े। कि उत्पन्न आय को फिर से अनुदान और ऋण के वितरण पर लागू किया गया था। ब्याज से उत्पन्न आय अनिवार्य रूप से अपीलार्थी-निगम के व्यवसाय से जुड़ी होती है और इस प्रकार, 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' के शीर्ष के अंतर्गत आती है। इसलिए, अन्य स्रोतों से आय के रूप में इस अवशिष्ट खंड के तहत ब्याज आय पर कर लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 56 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आय का कोई विशेष स्रोत व्यावसायिक आय है या नहीं, इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, किसी को इस धारणा को देखना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि क्या है। जिस गतिविधि से आय प्राप्त होती है, उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अपीलार्थी-निगम की व्यावसायिक गतिविधि वास्तव में धन उधार देने या अनुदान देने के लिए एक मध्यस्थ की होती है। इस प्रकार, ब्याज आय का सृजन

यह तथ्य कि अपीलकर्ता-निगम लाभ के उद्देश्य से व्यावसायिक गतिविधि नहीं करता है, भौतिक नहीं है क्योंकि लाभ कमाना स्व-थोपा हुआ और जन्मजात होने के कारण एक आवश्यक घटक नहीं है। उसी कानून से उत्पन्न होने वाला प्रतिबंध जो अपीलार्थी-निगम का निर्माण करता है और उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई है।

[पारस 21-23] [538-डी-एच; 539-ए-एफ] राष्ट्रीय सह-परिचालन विकास निगम v. आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

एकमात्र न्यासी, लोक शिक्षा न्यास बनाम। द. आयकर आयुक्त, मैसूर (1976) 1 एस. सी. सी. 254 [1976] 1 एस. सी. आर. 461 पर भरोसा किया।

राजस्व व्यय के रूप में कराधान के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पन्न आय को आय के साथ समायोजित किया जा सकता है। यदि यह राजस्व व्यय है तो राशि की कटौती की जा सकती है लेकिन यदि यह पूंजीगत व्यय है तो इसका जवाब नकारात्मक होगा। तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि निस्संदेह अपीलार्थी-निगम द्वारा केंद्र सरकार से ऋण और अनुदान के रूप में अग्रिम रूप से प्राप्त राशि को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। वास्तव में, यदि यह अन्यथा होता, तो वे अपीलार्थी के हाथों में कर योग्य हो जाते

निगम। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। एक राशि को पूंजी रसीद के रूप में माना जा सकता है जबकि उतनी ही राशि

खर्च एक राजस्व व्यय हो सकता है। सवाल यह है कि क्या

वर्तमान मामले में ऐसा ही है। [पारस 24-26] [539-F-H; 540-A, D-E]

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्याज आय सीधे पूंजी राशि के रूप में प्राप्त नहीं होती है। यह वास्तव में पूंजी प्राप्तियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है जब निधि बेकार पड़ी होती है, हालांकि आय इतनी होती है।

उत्पन्न राशि को तब उसी उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई थी, अर्थात, अनुदान का वितरण और ऋणों की अग्रिमता। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में ऋण और अनुदान दोनों पर विचार किया गया है, लेकिन

तैयार किए गए संदर्भों का प्रश्न, और जो इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार की गई स्थिति है, वह यह है कि विवाद केवल अनुदान से संबंधित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला नहीं था कि ऋण के रूप में अग्रिम राशि, जो ब्याज के साथ देय होती है, को राशि के निवेश से उत्पन्न व्यावसायिक आय के विरुद्ध खर्च के रूप में समायोजित किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप ब्याज अर्जित किया जा सकता है। यह तर्क इस तर्क पर आधारित था कि चूंकि उत्पन्न ब्याज को एक व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है, इसलिए जो अनुदान कभी वापस नहीं आएगा, उसे उसी के खिलाफ खर्च के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। वास्तव में, जिस हद तक अनुदान वापस किए गए थे, सी. आई. टी. (ए) ने पूरी कटौती की अनुमति नहीं दी, जैसा कि दावा किया गया था, लेकिन केवल उस राशि के लिए ऐसा किया जो [2020] 13 एस. सी. आर.

अनुदान के रूप में और कभी वापस नहीं मिला। उपरोक्त का निर्णय करने के लिए प्रश्न, बहुत ही उद्देश्य के लिए विज्ञापन करना उचित होगा

जिसके लिए वैधानिक अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई है। यह इस संदर्भ में है कि अपीलकर्ता-निगम के कार्यों को निर्धारित किया गया है, अर्थात, सहकारी समितियों आदि के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण या सब्सिडी प्रदान करना। ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं है जिसे अपीलार्थी-निगम करता है और न ही वह किसी अन्य व्यवसाय से अपना कोई धन उत्पन्न करता है। एक मायने में भूमिका केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने और उचित रूप से ऋण के रूप में आगे बढ़ाने तक सीमित है।

अनुदान या अनुदान। एक बड़े कैनवास में अपीलार्थी-निगम इन समितियों और अन्य संस्थाओं के लाभ के लिए वित्तीय कार्यक्रमों की योजना बनाता है, बढ़ावा देता है और बनाता है जिन्हें ऐसे ऋण, अनुदान दिए जाते हैं।

और सब्सिडी अग्रिम हैं। राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार के इरादे को आगे बढ़ाना वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले मध्यस्थ के रूप में है। सहकारी समितियाँ आदि। चूंकि यह व्यावसायिक गतिविधि है, इसलिए इसने इस न्यायालय को यह राय देने के लिए राजी किया है कि अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज के रूप में उत्पन्न आय व्यावसायिक आय की प्रकृति में है। उद्देश्य पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक हैं और अनुदान सहित प्राप्त राशि एक पूर्व शर्त के साथ आती है कि प्राप्त धन को निचले स्तर की संस्थाओं को दिया जाए। यही कारण है कि उन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना गया है। हालाँकि, यह न्यायालय यह राय देने में असमर्थ है कि चूंकि यह एक वैधानिक दायित्व के आधार पर एक पारित इकाई है, इसलिए ऋण और अनुदान की अग्रिमता एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, जबकि वास्तव में यह एकमात्र व्यावसायिक गतिविधि है। एक बार जब यह व्यावसायिक गतिविधि होती है, तो अप्रयुक्त पूंजी पर उत्पन्न ब्याज को व्यावसायिक आय माना जाता है। यह न्यायालय राजस्व विभाग के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि केवल इसलिए कि प्राप्त ब्याज आय का विलय कर दिया गया है

सामान्य निधि में धन यह अपने राजस्व चरित्र को खो देता है और एक पूंजी रसीद बन जाता है। यह तर्क उस स्थिति के साथ असंगत है जहां ब्याज का पैसा प्राप्त होता है, इसे राजस्व चरित्र का माना जाता है, और 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के लिए प्रभार्य है। एक ही निधि में रखी गई यह राशि पूंजी राष्ट्रीय विकास निगम की प्रकृति को प्राप्त नहीं कर सकती है।

आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

रसीद। ब्याज को राजस्व रसीद के रूप में माना जाता है जिस पर करों का भुगतान किया जाता है, इसे राजस्व रसीद के रूप को बनाए रखना चाहिए। यदि रसीद की प्रकृति को पूंजी रसीद के रूप में माना जाता है तो उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, राशि पर कोई कर देय नहीं होता। परिणाम यह है कि व्यवसाय के संबंध में किए गए सभी खर्च कटौती योग्य हैं।

[पारस 27-29] [540-E-H; 541-A-H; 542-A-B]

1.5 कानूनी स्थिति, जो उभरती है, वह यह है कि यदि कोई निर्धारिती व्यवसाय करता है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई

जैसा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) में उपयोग किया गया है। अनुदान के वितरण को पहले ही अपीलार्थी का मुख्य व्यवसाय माना जा चुका है। निगम। एक बार जब वह आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो व्यवसाय के दौरान और इसके उद्देश्य के लिए किया गया खर्च

स्पष्ट रूप से पहचाना गया। यह तथ्य का सवाल है। प्रत्यर्थियों की याचिका शुद्ध अनुमान पर आधारित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला है कि यह आसानी से अनुदान के माध्यम से अर्जित ब्याज के प्रत्यक्ष और निकटवर्ती संबंध को प्रदर्शित कर सकता है। किया गया, क्योंकि इसके खातों का विधिवत ऑडिट किया गया था। वास्तव में, सी. आई. टी. (ए) ने तुलनपत्र से सामने आए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर केवल एक निश्चित राशि तक व्यावसायिक व्यय की अनुमति दी।

यह

[2020] 13 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बोझ जिसे अपीलार्थी द्वारा निर्वहन किया जाना था-निगम और सी. आई. टी. (ए) को दिए गए अनुदानों के संवितरण के साथ ब्याज आय के गठजोड़ से संतुष्ट किया गया था, जैसा कि स्थापित किया गया था। [पैरा 30,31,33 और 34] [542-बी-सी; डी-जी; 543-बी-एफ]

1.6 परीक्षण करने के लिए एक अन्य सिद्धांत पर भी ध्यान दिया जा सकता है

तब से इस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। यदि निर्धारिती द्वारा रखे गए कोष से उत्पन्न आय का एक हिस्सा कुछ आवर्ती खर्चों को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए उपभोग किया जाता है। किसी अनुबंध द्वारा या कानून द्वारा या अपनी इच्छा से या देश के कानून द्वारा निर्धारिती पर लगाया गया दायित्व और यदि उससे पहले की आय निर्धारिती के हाथों में पहुँच जाती है तो पहले से ही

एक उच्चतर शीर्षक जिस भाग को पारित किया गया है या जिस पर पारित किया जाना है, वह निर्धारिती की आय नहीं है। इस प्रकार, परीक्षण यह है कि आय के उपयोग के लिए क्या राशि है और शीर्षक को ओवरराइड करके डायवर्जन क्या है। एक अर्थ में यह सिद्धांत तब लागू होगा जब अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या अन्य बाध्यकारी निर्देश संस्थान को अनुदान के वितरण पर ब्याज आय खर्च करने के लिए बाध्य करते हैं। अपीलार्थी निगम ने सहकारी समितियों के संस्थागत विकास के लिए अपनी प्रणाली की मंजूरी/वितरण की प्रक्रिया तैयार की है। द.

अपीलार्थी-निगम वास्तव में के प्रयासों की पूर्ति करता है

राज्य सरकारें। इस प्रकार, राज्य सरकारें एक निर्धारित व्यवस्थित प्रारूप में अपीलकर्ता निगम को अलग-अलग समितियों/परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश करती हैं और यह कि समिति निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण का भी लाभ उठा सकती है। इसके बाद औपचारिक मंजूरी राज्य सरकार या सोसायटी को दी जाती है और धन जारी करना कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करता है और गैर-प्रतिपूर्ति के आधार पर होता है।

धन का एक हिस्सा समय-समय पर अलग-अलग ब्याज दरों के साथ 3 से 8 साल की अवधि के ऋण के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अनुदानों पर लागू होता है, जो स्वाभाविक रूप से वापस नहीं किए जाते हैं। इस कार्यप्रणाली को अपीलार्थी-निगम के रुख के रूप में भी निर्धारित किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 5 में निहित है।

मूल्यांकन आदेश।

एन. सी. डी. सी. अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय सहयोग-परिचालन विकास निगम v. आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

अनुदान प्राप्तकर्ता होना चाहिए; दी जाने वाली राशि क्या होनी चाहिए। केवल यह निर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी-निगम का व्यवसाय उस घोषित उद्देश्य के लिए ऋण या अनुदान प्रदान करना है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अनुदान किसे मिलना चाहिए, इस संबंध में निर्णय अपीलार्थी-निगम द्वारा सीधे अपने कार्य के दौरान और अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए लिया जाता है। इस प्रकार, दिए जाने के लिए सहमत राशि ऋण या अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए, या दोनों पूरी तरह से अपीलार्थी-निगम के व्यावसायिक विवेक पर है। नहीं।

अनुदान प्राप्तकर्ता के पास निधियों की तुलना में बेहतर अधिकार होता है। इसलिए, यह स्वामित्व को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन का मामला नहीं है। आय का निर्धारण वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांतों पर निर्धारित 'वास्तविक लाभ' के बीच एक अंतर है। व्यवसाय के मामले में, लाभ सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्राप्त किया जाना चाहिए। आई. टी. अधिनियम की योजना में लेखांकन के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर 'वास्तविक आय' के निर्धारण की आवश्यकता होती है। 'वास्तविक आय' निर्धारित करने के लिए, अनुमेय खर्चों का भुगतान करना आवश्यक है। इस प्रकार, वास्तविक लाभ का पता लगाने के लिए की गई कटौती के बीच एक स्पष्ट अंतर है

और उसके बाद लाभ से किए गए वितरण। वितरण आय का अनुप्रयोग होगा। वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निर्धारित वास्तविक लाभ और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक क़ानून द्वारा निर्धारित लाभ के बीच भी अंतर है। आयकर वास्तविक आय पर एक कर है। [पारस 35-38] [543-F-H; 544-A-H; 545-C]

आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम। श्री सीतलदास तीरथदास [1961] 2 एस. सी. आर. 634-विशिष्ट।

पूना विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी बॉम्बे सिटी,

[1965] 3 एस. सी. आर. 818-निर्भर।

1.7 भले ही अपीलार्थी निगम के अपने विचार में पिछले वर्षों के लिए, उसने कभी भी ऐसे किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया, लेकिन यह निश्चित रूप से अपीलार्थी-निगम के अधिकार को बाधित नहीं करता है क्योंकि वे बाद की तारीख में गलती का मामला बनाना चाहते थे। एक और वैधानिक विकास है। 2003 के वित्त अधिनियम ने आई. टी. अधिनियम की धारा 36 में उपखंड के रूप में एक प्रावधान जोड़ा। संशोधन [2020] 13 एस. सी. आर. होना चाहिए।

विभागीय परिपत्र संख्या 7/2003 दिनांक 5.9.2003 के संदर्भ में सराहना की गई, जो किसी भी केंद्र, राज्य या राज्य के तहत स्थापित संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय के लिए कटौती का प्रावधान करता है।

प्रांतीय अधिनियम। संसद के एक अधिनियम के तहत बनाई गई संस्थाओं का विकास को आगे बढ़ाने का मूल उद्देश्य और कार्य होता है।

उक्त अधिनियमों में निर्दिष्ट क्षेत्रों में गतिविधियाँ। वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित कुछ निकायों की कर छूट को वापस ले लिया गया था। कर कवच को हटाने के बाद, एक संदेह पैदा हो गया है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा की जा रही कुछ गतिविधियों को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ऐसी विकासात्मक गतिविधियों पर किए गए खर्च को 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत आय की गणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 39 41] [545-डी-ई; 546-बी-डी]

1.8 इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2003 ने एक नया खंड जोड़ा जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि -

किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के रूप में, केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित किसी भी नाम से, ऐसे अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, जिसके तहत ऐसे निगम या निगमित निकाय का गठन या स्थापना की गई थी, की अनुमति दी जाएगी।

कर योग्य आय निर्धारित करने के लिए वाणिज्यिक लेखा के सिद्धांत। इस प्रकार, इस उपखंड को शामिल करने से पहले, ऐसे खर्चों की अनुमति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सामान्य धारा 37 (1) के तहत दी जाएगी, जो वाणिज्यिक लेखा के सिद्धांतों पर अनुमेय खर्चों की कटौती का प्रावधान करती है। संशोधन के बाद, इस तरह के खर्चों को विशिष्ट धारा के तहत अनुमति दी जाती है। अनुभाग 36 (1) (xii) वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधन के बाद।

यह राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम v. आय कर आयुक्त, दिल्ली-5

न्यायालय विभिन्न कारणों से ए. ओ., आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ है और सी. आई. टी. (ए.) द्वारा पहले बताए गए कारणों से लिए गए विचार से सहमत है। इस प्रकार, यह इस न्यायालय पर छोड़ दिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वह अंतिम प्रहार करे और अपीलों की अनुमति दे, पक्षकारों को छोड़ दे

अत्यधिक लंबे समय के बीतने और निर्णय लेने में न्यायिक समय की बर्बादी को अफसोस के साथ देखते हुए, जो मुख्य रूप से सही है, जब किसी भी स्थिति में यह केंद्र सरकार को लाभान्वित करता है, वे अपनी लागत खुद वहन करते हैं। [पारस 42-44] [546-D-H; 547-A-C]

सी. आई. टी. केरल, एर्नाकुलम बनाम त्रावणकोर चीनी और केमिकल्स लिमिटेड (1973) 3 एस. सी. सी. 274: [1973] 2 एससीआर 738; सीआईटी, गुजरात बनाम। एस. सी. कोठारी (1972) 4 एस. सी. सी 402: [1972]

1 एस. सी. आर. 950-पर निर्भर। -

आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम। संबद्ध

सीमेंट्स कंपनीज लिमिटेड, 1988 (पूरक) एस. सी. सी. 378: [1988] एससीआर 917; एम/एस। एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1980) 4 एससीसी 25 [1980] 3 एससीआर 1370

संदर्भित किया गया।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और एएनआर। वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर 1995 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 541; भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम बनाम। भारत संघ (2011) 332 आईटीआर

स्पोर्ट्सवियर कंपनी बनाम। आयकर निदेशक बैंगलोर (2012) 11 एस. सी. सी. 224: [2012] 7 एससीआर 187 -

संदर्भित किया गया।

चतुर्वेदी और पिथिसरिया का आयकर कानून, खंड 3, छठा संस्करण (2014), पृष्ठ। 3310 , द्वारा प्रकाशित

लेक्सिसनेक्सिस-संदर्भित।

एथर्टन वी. ब्रिटिश इंसुलेटेड एंड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड

(1924) 10 कर मामले 155,192-83: (1926) एसी 205 (एचएल)

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1988] 3 एससीआर 917

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1980] 3 एससीआर 1370

संदर्भित किया गया है

(1961) 2 एससीआर 634

प्रतिष्ठित

पै

रा 18

[1976] 1 एससीआर 461

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[1973] 2 एससीआर 738

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

(1965) 3 एससीआर 818

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

[1972] 1 एससीआर 950

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 541

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

(2011) 332 आईटीआर 58 (एससी)

पै

रा 3

[2018] 3 एससीआर 935

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2012] 7 एससीआर 187

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 5105

5107 2009 से।

डिवीजन बेंच के 24.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के आई. टी. आर. सं. 555 1983 और 1989 का 41.

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रजत नवेत, प्रदीप कुमार बख्शी,

सुश्री प्रवीणा गौतम, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. सरकार की कौन सी जेब को समृद्ध किया जाना चाहिए

फैसला करने के लिए चालीस (44) साल-क्या नहीं होना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण!

तथ्यात्मक मैट्रिक्सः

2. अपीलार्थी-निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास

निगम, राष्ट्रीय सहकारी के तहत स्थापित किया गया था विकास निगम अधिनियम, 1962 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

' एनसीडीसी अधिनियम ')। एन. सी. डी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

" एक के निगमन और विनियमन के लिए एक अधिनियम कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम

उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और

कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं का आयात,

सिद्धांत और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए

वहाँ "। राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

3. अपीलार्थी-निगम के कार्य एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिम ऋण या अनुदान देने के लिए है।

सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान; राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ-साथ राज्य स्तर की सहकारी समितियों को भी सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करना, बाद वाला राज्य सरकारों की गारंटी पर। अपीलार्थी के लिए वित्तपोषण प्रक्रिया-निगम

एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 12 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण के माध्यम से निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी-निगम को राष्ट्रीय सहकारी विकास नामक निधि बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

निधि (संक्षेप में 'निधि'), जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्राप्त सभी धन के साथ जमा किया जाता है, साथ ही समय-समय पर निधि से किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋणों पर ब्याज या लाभांश या निधि से किए गए निवेशों पर अन्य प्राप्तियों से प्राप्त की जाने वाली राशि भी होती है। धारा 13 किसी निधि के रखरखाव को अनिवार्य करती है और यह निम्नानुसार है:

(क) खंड के तहत उसे हस्तांतरित सभी धन और अन्य प्रतिभूतियाँ (क) धारा 24 की उप-धारा (2) की;

(ख) धारा 12 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निगम को दिए गए ऋणों के माध्यम से अनुदान और अन्य धन राशि;

(ख) धारा 12ए के तहत उधार लिए गए सभी धन; (ग) ऐसे अतिरिक्त अनुदान, यदि कोई हों, जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम को दे; और

(घ) ऐसी राशि जो समय-समय पर निधि से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान से या उस पर ब्याज से प्राप्त की जा सकती है। कोष से किए गए निवेश पर ऋण या लाभांश या अन्य प्राप्ति।

(2) कोष में धन के लिए आवेदन किया जाएगा

(क) राज्य सरकारों को ऐसे नियमों और शर्तों पर ऋण देना और सब्सिडी देना जो निगम [2020] 13 एस. सी. आर. के लिए उपयुक्त समझे।

राज्य सरकारों को सदस्यता लेने में सक्षम बनाने का उद्देश्य

सहकारी समितियों की साझा पूंजी या अन्यथा वित्तपोषण के लिए

सहकारी समितियाँ;

निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी और अन्य निगम के प्रशासनिक व्यय; और

(ग) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना।

(जोर दिया गया)

इसे आगे बढ़ाने के लिए, जब भी अतिरिक्त धन जमा होता है,

अपीलार्थी-निगम ने समय-समय पर निष्क्रिय निधियों को सावधि जमा में निवेश किया, जिससे आय उत्पन्न होती थी। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य को दिए गए ऋणपत्रों और ऋणों पर ब्याज के रूप में आय

सरकार/शीर्ष सहकारी संस्थानों को इस खाते में जमा किया जाता है।

4. भले ही अपीलार्थी-निगम एक मध्यस्थ है या

" इकाई से गुजरते हुए, यह एक अलग न्यायिक इकाई है। इसकी कराधान की स्थिति इस प्रकार हैः

जहां तक केंद्र सरकार से धन प्राप्त होता है,

आई.

इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, और इसलिए नहीं

कर से प्रभार्य। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। ब्याज घटक के संबंध में, इसे इस प्रकार माना जाता है

ii.

कर योग्य आय और तार्किक रूप से "व्यावसायिक आय" के रूप में कर लगाया जाता है।

विचार के लिए जो मुद्दा उठा है वह यह है कि क्या

धारा के तहत प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज आय का घटक

13 (1) , और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सहकारी समितियों को "अनुदान" के माध्यम से वितरित, अपीलार्थी-निगम की "कर योग्य आय" निर्धारित करने के लिए कटौती के लिए पात्र है। यह, जैसा कि यहाँ कहा गया है, पहले की लेखांकन प्रथा के विपरीत था और मूल्यांकन वर्ष 1976-77 के लिए पहली बार उत्पन्न हुआ। तदनुसार, इस उपरोक्त मूल्यांकन वर्ष से संबंधित तथ्यात्मक मैट्रिक्स को रिकॉर्ड में लिया गया है।

5. अपीलार्थी का उपरोक्त प्रयास-निगम ने नहीं किया

निर्धारण अधिकारी के समक्ष सफल होना (संक्षेप में 'एओ')। ए. ओ. ने राय दी कि गैर-वापसी योग्य अनुदान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थे न कि राजस्व व्यय और इस प्रकार, कटौती के रूप में इसकी अनुमति नहीं थी। ए. ओ. के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह भी थी कि अनुदान को राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम प्राप्त हुआ।

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

केंद्र सरकार से एक पूंजी रसीद की प्रकृति में थे

कर से छूट। ए. ओ. ने नोट किया कि मांग के अनुसार कोई कटौती नहीं की गई है

पिछले मूल्यांकन वर्षों में दावा किया गया था। बेशक, बाद में, अपीलकर्ता-निगम का रुख, निर्धारिती के रूप में, यह था कि यह एक गलती थी और वे बाद के वर्षों के लिए इससे बाध्य नहीं हो सकते थे। यह दौर राजस्व विभाग के पास गया। 6. आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली (संक्षेप में 'सी. आई. टी. (ए)') के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 22.8.1980 के आदेश के संदर्भ में कहा गया था कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए अनुदान

निगम निर्विवाद रूप से अपनी अधिकृत गतिविधियों के अंतर्गत आता है, जो राज्य सरकारों और सहकारी समितियों को ब्याज पर ऋण देने के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। इन अनुदानों का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जाना था जो निश्चित रूप से पूंजी प्रकृति की थीं और जिसके परिणामस्वरूप पूंजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण हुआ, लेकिन अपीलार्थी-निगम द्वारा नहीं। इस प्रकार, एक निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (जिसे इसके बाद 'आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के संदर्भ में, जैसा कि यह प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए था, कोई भी खर्च (निषिद्ध प्रकार को छोड़कर) पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या खर्च किया गया था।

व्यावसायिक आय की गणना करते समय कटौती। इस प्रकार सी. आई. टी. (ए) ने पाया कि ए. ओ. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कार्य के रूप में गलत था।

19,35,950 / - . हालांकि, शुद्ध कटौती की अनुमति रुपये तक सीमित थी। 13,66,187 / - रुपये की सीमा तक अनुदान की वापसी के कारण। 5,69,763 / - , जो अप्रयुक्त रह गया था। इस प्रकार, दूसरा दौर अपीलार्थी-निगम के पास गया। 7. अब राजस्व विभाग की बारी थी कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'आई. टी. ए. टी.') के समक्ष अपील करे।

हालाँकि, दिल्ली पीठ ने ए. ओ. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और सी. आई. टी. (ए) के आदेश को दरकिनार करते हुए सी. आई. टी. (ए) के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुई। ऐसा करने का कारण थोड़ा अलग था। इसने अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार से अपीलार्थी निगम द्वारा प्राप्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अन्य राशि एक ही कोष में जाती है और

इन्हें अपनी आय के रूप में नहीं माना जाता था और इस प्रकार, उनसे किए गए संवितरण को राजस्व व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता था। राज्य सरकारों और सहकारी समितियों को धन का वितरण [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. चौथा दौर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष था जहां आई. टी. अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत दिए गए संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दिया जाना स्वीकार किया गयाः

" चाहे तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने तथ्यों और कानून के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि 35,950/- की राशि निर्धारिती-आवेदक द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित की गई थी। वर्ष 1976-77 राजस्व व्यय की प्रकृति में नहीं था, इसलिए सहायक के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में स्वीकार्य नहीं था। वर्ष

संदर्भ में "।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि स्वीकार्य कटौती का दावा करने की उपरोक्त प्रथा का बाद के मूल्यांकन में पालन करने की मांग की गई थी वर्ष और उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11.2006 के सामान्य विवादित निर्णय द्वारा मूल्यांकन वर्षों 1976-77 के संदर्भ का उत्तर दिया।

और 1981-82।

10. अब उच्च न्यायालय के आदेश की ओर मुड़ते हुए, यह चौथा दौर फिर से राजस्व विभाग के पक्ष में गया तदनुसार। उच्च न्यायालय के तर्क के संदर्भ में, यह दोनों पक्षों के लिए एक मिश्रित बैग था। राजस्व विभाग का यह तर्क कि अपीलकर्ता-निगम की ऐसी ब्याज आय आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत अन्य स्रोतों से आय की श्रेणी में आएगी, जिसके लिए आई. टी. अधिनियम की धारा 57 के तहत स्वीकार्य कटौती की गणना की गई है, हालांकि खारिज कर दिया गया था। राजस्व विभाग ने आगे यह तर्क देना चाहा कि अग्रिम आय के अनुप्रयोग के रूप में थे

आय के व्यय के बजाय। इसने यह भी तर्क दिया कि वितरित किए गए ऋण उस समझौते के संदर्भ में वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी थे जिसके तहत उन्हें आगे बढ़ाया गया था, जिससे वे व्यय के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य हो गए थे। इसके अलावा, एक बार ब्याज आय प्राप्त होने के बाद, इसे अपीलार्थी-निगम की धारा 13 निधि में विलय कर दिया गया और व्यावसायिक आय के रूप में इसका चरित्र समाप्त हो गया।

11. उच्च न्यायालय ने राय दी कि चूंकि अपीलकर्ता निगम का कार्य धन प्राप्त करना और फिर उन्हें ऋण या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के रूप में आगे बढ़ाना था

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

अनुदान, अर्जित ब्याज आय जो इस तरह से लागू की गई थी, 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' के शीर्ष के तहत आई. टी. अधिनियम के अध्याय IV की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत भी आएगी, जो इसकी सामान्य व्यावसायिक गतिविधि का एक हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने एन. सी. डी. सी. अधिनियम की योजना पर गौर किया और धारा 13 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक कोष के निर्माण का प्रावधान किया गया था, एक सामान्य पूल होने के नाते जहां सभी संचय समामेलित हो जाते हैं, जिसमें ऋण और लाभांश पर ब्याज और एफ. डी. आर. पर अर्जित ब्याज शामिल हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोष से जो धन दिया गया था, उसे स्पष्ट रूप से ब्याज आय के हिस्से के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने जिस अन्य पहलू पर राय दी, वह यह था कि राजस्व व्यय के रूप में कटौती का दावा करने के लिए, अपीलार्थी-निगम को पहले यह स्थापित करना होगा कि उसने एक व्यय किया है। राज्य सरकारों और सहकारी समितियों को ऋण की अग्रिम राशि का दावा व्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अपीलार्थी निगम के हाथों में अपरिवर्तनीय रूप से नहीं छोड़ता है। हमारे लिए इसमें और गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। यह मुद्दा उत्तर देने के लिए तैयार किया गया प्रश्न नहीं था।

12. हम अब विभिन्न के संबंध में दीवानी अपीलों का सामना कर रहे हैं

मूल्यांकन वर्ष, जो दिनांकित 24.11.2006 के सामान्य निर्णय और दिनांकित 12.7.2007 के सामान्य आदेश से उत्पन्न होते हैं, जो बदले में 24.11.2006 निर्णय पर निर्भर थे। विवरण एक सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार हैंः

13. अतः अंतिम नॉक आउट देना हमेशा की तरह इस न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है।

पंच, इस मुद्दे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का पांचवां दौर है!

14. हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि मूल रूप से विशेष अवकाश

याचिका खारिज कर दी गई और इसे अपीलार्थी-निगम पर छोड़ दिया गया कि वह उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमति दिए जाने की स्थिति में अपनी याचिका को पुनर्जीवित करे। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए था कि समिति तब अंतर-सरकारी विवादों को निपटाने के लिए मौजूद थी, लेकिन बाद में

सिविल अपील

बाहर

निकलते हुए

कटौती की मांग की गई

मूल्यांकन

संख्या

वर्ष (ओं)

1976-77

रु. 19,35,950

दिनांकित

सामान्य आदेश

5105/2009

24.11.20

06

रु. 1,96,17,920

1981-82

रु. 1,26,90,860

दिनांकित

आदेश 12.7.2007

5106/2009

1982-83

के संदर्भ में

निर्णय लिया गया

दिनांकित आदेश 24.11.2006

5107/2009

रु. 1,39,38,943

1983-84

के संदर्भ में

निर्णय लिया गया

आदेश दिनांक 24.11.2006 [2020] 13 एस. सी. आर.

भंग कर दिया। अभिलेख से पता चलता है कि समिति की एक बैठक 14.8.2007 पर आयोजित की गई थी और यह महसूस किया गया था कि अपीलार्थी-निगम द्वारा वितरित अनुदान की प्रकृति के बारे में प्रश्न पर न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता थी, हालांकि समिति ने स्वयं इस मुद्दे का निपटारा नहीं किया था। समिति के समक्ष अपीलार्थी-निगम के प्रतिनिधि ने उच्च न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर लिए गए विचार को गलत ठहराया कि ऋण के रूप में अग्रिम धन के रूप में व्यय निगम के हाथों से नहीं जाता है, जो कि एक निष्कर्ष था, जो मामले के तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि मुद्दा केवल अनुदान से संबंधित था न कि ऋणों से। अनुदान का वितरण धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था

एन. सी. डी. सी. अधिनियम और इस प्रकार, अनुदान के रूप में अग्रिम धन कभी भी अपीलार्थी को वापस नहीं आया और यह अपीलार्थी निगम के व्यय की प्रकृति में था। समिति का विचार था कि अपीलार्थी-निगम द्वारा वितरित अनुदान ऋण की प्रकृति में नहीं थे और केवल निगम के व्यवसाय के लिए थे और इन्हें राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए था।

पक्षों की दलीलें:

15. अपीलार्थी की ओर से-निगम, श्री रजत नवेत

उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा करने में गलती हुई है जैसे कि यह अनुदान के विपरीत ऋणों में से एक था, जो संदर्भ का विषय था। अतः जो तर्क दिया गया वह यह था कि

ऋण और अनुदान के इस पहलू के बारे में विवादित आदेश में कुछ भ्रम था। इस प्रकार, यह अपीलार्थी निगम की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था:

वितरित कोई भी अनुदान (राष्ट्रीय या राज्य सरकारों को,

आई.

सहकारी समितियों को आगे के संवितरण के लिए) 'ब्याज आय' में से, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा 'व्यावसायिक आय' के रूप में कर लगाया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य है।

1961 .

उच्च न्यायालय के निर्णय में त्रुटि और विसंगति,

ii.

यह है कि पैरा 22 में, इसने "अनुदान" और "ऋण" को समान या प्रकृति में समान माना है। के बीच एक अंतर है

" अनुदान 'और' ऋण ', क्योंकि' ऋण 'के रूप में दिए गए धन अपीलार्थी-निगम के खजाने में वापस आ जाते हैं;

हालाँकि, "अनुदान" या "सब्सिडी" के संबंध में, अपीलार्थी ए. एल. को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ इनकम टैक्स, [संजय किशन कौल, जे.] के खजाने से एक अपरिवर्तनीय व्यय होता है।

निगम। उच्च न्यायालय द्वारा इस भेद की जांच नहीं की गई है। अपीलार्थी का दावा-निगम केवल "अनुदान" के संबंध में प्रतिबंधित है, न कि "ऋण" के संबंध में।

उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि यह पहचान नहीं की जा सकती है कि धन के किस हिस्से को "अनुदान" के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। यह पता लगाने योग्य नहीं है कि यह अर्जित आय से है या पूंजीगत प्राप्तियों से। अपीलार्थी निगम ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि उसके द्वारा एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में एक सामान्य निधि का रखरखाव किया जाता है, अपीलार्थी द्वारा अर्जित/प्राप्त ब्याज आय

निगम "व्यावसायिक आय" के अपने चरित्र को नहीं खो सकता है।

और एक पूंजी रसीद में बदल जाता है। यदि इस विवाद को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ब्याज आय भी व्यवसाय के लाभ और लाभ के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, और इसे पूंजी रसीद के रूप में माना जाना चाहिए।

चूँकि अपीलार्थी-निगम के खाते विधिवत हैं

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में कर। सी. आई. टी. (ए) ने उचित रूप से केवल उन अनुदानों की अनुमति दी है, जो वास्तव में अपीलार्थी की कर योग्य ब्याज आय से वितरित किए गए थे - व्यय।

चूँकि अनुदान अपीलार्थी-निगम के व्यवसाय के सामान्य क्रम में दिए जाते हैं, वे अनुदान जो ब्याज आय से होते हैं, और "व्यावसायिक आय" के रूप में मूल्यांकन किए जाते हैं, उन्हें अपीलार्थी-निगम की कर योग्य आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। आवश्यकताएं

आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने की शर्तें पूरी हो गई हैं क्योंकिः

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए। व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया है;

सवाल करते हैं।

सी। यह निर्धारिती के किसी भी व्यक्तिगत खाते में नहीं है;

डी। यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं है।

vii.

अपीलार्थी द्वारा किया गया व्यय-निगम पूँजीगत व्यय नहीं हो सकता क्योंकि न तो कोई स्थायी लाभ या लाभ अर्जित हुआ है और न ही कोई ऐसी संपत्ति अस्तित्व में आई है जो उसके स्वामित्व में हो या जिसका स्वामित्व उसके पास हो।

अपीलार्थी-निगम।

16. इस न्यायालय के फैसले का एक संदर्भ दिया गया था

आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम। एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनीज लिमिटेड ', जिसने बदले में विस्काउंट गुफा के कथन को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। एथर्टन बनाम में एल. सी. ब्रिटिश इंसुलेटेड और हेल्सबी केबल्स Ltd.² निम्नानुसार हैं:

" लेकिन जब कोई खर्च किया जाता है, तो न केवल एक बार और हमेशा के लिए, बल्कि किसी व्यापार के स्थायी लाभ के लिए किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से किया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कारण है (विशेष परिस्थितियों के अभाव में एक

विपरीत निष्कर्ष) इस तरह के व्यय को उचित रूप से राजस्व के लिए नहीं बल्कि पूंजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

यह राय दी गई थी कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां खर्च, भले ही स्थायी लाभ का लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो, फिर भी, राजस्व खाते में हो सकता है और स्थायी लाभ की कसौटी टूट सकती है, लेकिन विचार करने के लिए जो सामग्री है वह है वाणिज्यिक अर्थ में लाभ की प्रकृति और यह केवल वहीं है जहां लाभ पूंजी क्षेत्र में है, कि इस परीक्षण के आवेदन पर खर्च अस्वीकार्य होगा। यदि लाभ केवल निर्धारिती के व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाने या निर्धारिती के व्यवसाय के प्रबंधन और संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से या अधिक लाभप्रद रूप से चलाने में सक्षम बनाने में शामिल है। निश्चित पूँजी को छुए बिना, व्यय राजस्व खाते में होगा, भले ही लाभ अनिश्चित भविष्य के लिए बना रह सकता है।

1 1988 (पूरक) एस. सी. सी. 378 2 2 (1924) 10 कर मामले 155,192-83: (1926) एसी 205 (एचएल)

ए. टी. आई. एन. एल. सी. ओ.-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिशनर ऑफ इनकम टैक्स, [संजय किशन कौल, जे.]

17. मेसर्स में फैसले का एक संदर्भ भी दिया गया था। साम्राज्य

कं. लिमिटेड बनाम। आय कर आयुक्त 3 का यह तर्क देना कि जो भी प्राप्तकर्ता के हाथों में पूंजी रसीद हो, वह भुगतानकर्ता के संबंध में एक राजस्व अधिकार हो सकता है। उक्त निर्णय का पैरा 5 इस प्रकार पढ़ा जाता है -

:

प्राप्तकर्ता के हाथों में पूंजी रसीद क्या हो सकती है अनिवार्य रूप से दाता के संबंध में पूंजीगत व्यय होना चाहिए। द.

तथ्य यह है कि एक निश्चित भुगतान आय या पूंजी रसीद का गठन करता है

प्राप्तकर्ता के हाथों में यह निर्धारित करने के लिए सामग्री नहीं है कि भुगतान राजस्व है या भुगतानकर्ता के लिए पूंजी संवितरण है। यह.

रेस कोर्स में जे. मैकनाघटेन द्वारा सम्मानित किया गया था

सट्टेबाजी नियंत्रण बोर्ड v. ऐसा नहीं है कि भुगतान दाता के दृष्टिकोण से राजस्व भुगतान और प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से पूंजी भुगतान हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसलिए,

माहेश्वरी देवी जूट मिल्स मामले में निर्णय नहीं हो सकता है

प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में माना जाता है कि भुगतान किया गया था

करघों की खरीद के लिए किसी निर्धारिती द्वारा पूंजी होगी

व्यय। चाहे वह पूंजीगत व्यय हो

लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया और

अन्य प्रासंगिक कारक "।

18. दूसरी ओर, श्री अरिजीत प्रसाद, विद्वान वरिष्ठ वकील,

राजस्व विभाग का आधा, निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः

चूंकि प्राप्त ब्याज आय का विलय हो गया है

आई.

सामान्य निधि में धन, यह अपने राजस्व चरित्र को खो देता है,

और एक पूंजी रसीद बन जाती है।

राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सहकारी समितियों को दिया जाने वाला अनुदान

ii.

संचालक अपीलार्थी-निगम के व्यापार व्यवसाय के क्रम में नहीं हैं, बल्कि केवल एक अनुप्रयोग हैं

आय। 4

अनुदान देना आय का एक अनुप्रयोग था इसलिए यह

iii.

यह कोई खर्च नहीं था। भले ही इसे व्यय के मामले के रूप में माना जाए, यह सबसे अच्छा, पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होगा।

0) 4 एससीसी 25

आय कर के निशीशनर, बॉम्बे बनाम। श्री शीतलदास तीरथदास (1961) 2 एस. सी. आर. 634 [2020] 13 एस. सी. आर.

एकमुश्त अनुदान के रूप में दिए गए धन का प्रत्यक्ष संबंध

iv.

कर योग्य ब्याज आय को स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता है।

सामान्य कोष में।

19. राजस्व विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए मुद्दे पर बहस को पुनर्जीवित करने की मांग की, यानी कि आय को आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाना चाहिए न कि आई. टी. अधिनियम की धारा 28 के तहत। इस प्रकार छूट, यदि कोई हो, तो धारा 57 के तहत होगी न कि आई. टी. अधिनियम की धारा 37 के तहत।

निष्कर्ष:

संकीर्ण कम्पास। 21. पहला पहलू जिसका हम विज्ञापन करेंगे वह यह है कि क्या ऋण या लाभांश पर ब्याज 'अन्य से आय' के शीर्ष के तहत आएगा।

आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत 'स्रोत' या यह आई. टी. अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' से आय के बराबर होगा। आई. टी. अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में आई. टी. अधिनियम की धारा 14 के शीर्ष 'डी' के तहत किसी भी व्यवसाय या पेशे के ऐसे लाभ और लाभ आयकर के लिए प्रभार्य होंगे यदि आय पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से संबंधित है [आई. टी. अधिनियम की धारा 28 का खंड (i)]। आई. टी. अधिनियम की धारा 56 एक अवशिष्ट खंड की प्रकृति में है, अर्थात, यदि हर प्रकार की आय जिसे आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, इस शीर्ष के तहत प्रभार्य होगी यदि यह धारा 14 शीर्ष 'ए' से 'ई' के तहत प्रभार्य नहीं है।

22. उपरोक्त पहलू एओ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के तर्क का हिस्सा नहीं था, लेकिन सी. आई. टी. (ए) ने राय दी कि अपीलार्थी-निगम द्वारा दिए गए अनुदान निर्विवाद रूप से इसके अधिकृत दायरे में आते हैं।

व्यावसायिक गतिविधियाँ और इस प्रकार, ब्याज आय से अनुदान का अग्रिम भुगतान भी एक राजस्व व्यय होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-निगम द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण नहीं हुआ था और इस प्रकार, आईटी अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत समायोजन योग्य होगा। आई. टी. ए. टी., सी. आई. टी. (ए) के आदेश को उलटते हुए, इस पहलू पर विचार नहीं करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के विवादित फैसले ने एक बार फिर इस पहलू पर जोर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्याज आय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के शीर्ष के तहत आएगी।

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

' आई. टी. अधिनियम की धारा 14 का 'डी' और आई. टी. अधिनियम की धारा 56 के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' के शीर्ष के अंतर्गत नहीं आएगा।

23. हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, क्योंकि अपीलार्थी-निगम का एकमात्र कार्य धन प्राप्त करना और फिर उन्हें ऋण या अनुदान के रूप में आगे बढ़ाना है। ब्याज आय इस प्रकार प्राप्त निधि के कारण उत्पन्न हुई और हो सकता है कि इसका उपयोग एक निश्चित अवधि के लिए नहीं किया गया हो, जिसे सावधि जमा में रखा जा रहा हो ताकि राशि बेकार न पड़े। कि उत्पन्न आय को फिर से लागू किया गया था

अनुदान और ऋणों का वितरण। ब्याज से उत्पन्न आय अनिवार्य रूप से अपीलार्थी-निगम के व्यवसाय से जुड़ी होती है और इस प्रकार, 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' के शीर्ष के अंतर्गत आती है। इसलिए इसके तहत ब्याज आय पर कर लगाने के लिए आई. टी. अधिनियम की धारा 56 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अवशिष्ट खंड अन्य स्रोतों से आय के रूप में। हमारे विचार में, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कि क्या आय का एक विशेष स्रोत व्यावसायिक आय है, किसी को इस धारणा को देखना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि क्या है। जिस गतिविधि से आय प्राप्त होती है, उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अपीलार्थी-निगम की व्यावसायिक गतिविधि वास्तव में धन उधार देने या अनुदान देने के लिए एक मध्यस्थ की होती है। इस प्रकार, इस एकमात्र व्यवसाय के समर्थन में ब्याज आय का सृजन (यहां तक कि प्राथमिक भी नहीं) उस अवधि के लिए जब धन बेकार पड़ा हुआ है, और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, अंततः व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य होगा। तथ्य यह है कि

अपीलार्थी-निगम लाभ के उद्देश्य से व्यावसायिक गतिविधि नहीं करता है क्योंकि लाभ अर्जित करना एक आवश्यक घटक नहीं है क्योंकि स्वयं अधिरोपित और जन्मजात प्रतिबंध उसी क़ानून से उत्पन्न होते हैं जो अपीलार्थी-निगम का निर्माण करता है और उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई है। हमारे विचार को द सोल ट्रस्टी, लोक शिक्षा ट्रस्ट बनाम के फैसले से समर्थन मिलता है। द.

आयकर आयुक्त, मैसूर। 5

24. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि क्या इस आय से उत्पन्न अनुदान के रूप में अग्रिम राशि

राजस्व व्यय के रूप में कराधान के प्रभाव को कम करने के लिए आय के साथ समायोजित किया जा सकता है। यदि यह राजस्व व्यय है तो राशि की कटौती की जा सकती है।

लेकिन अगर यह पूंजीगत व्यय है तो जवाब नकारात्मक होगा।

25. हमारे सामने तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि निस्संदेह अपीलार्थी-निगम द्वारा केंद्र सरकार से ऋण और अनुदान के रूप में अग्रिम रूप से प्राप्त राशि को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। वास्तव में अगर

इस प्रकार, अपीलार्थी निगम के हाथों में जो पूंजी रसीद हो सकती है, वह अभी भी एक राजस्व व्यय हो सकता है और यह उस संदर्भ में है। कि एथर्टन बनाम में अवलोकन। ब्रिटिश इंसुलेटेड एंड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड ". आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम में संदर्भित।

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड, बॉम्बे पर भरोसा किया गया था। उन मामलों में संदर्भ थोड़ा अलग था क्योंकि यदि कोई व्यय व्यापार के स्थायी लाभ के लिए किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाना था, तो यह राय दी गई थी कि एक मामला राजस्व के लिए नहीं बल्कि पूंजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मामले में, निश्चित रूप से, यह प्रस्ताव वास्तव में उल्टा है और उपरोक्त का लाभ उठाने की कोशिश की गई थी

सिद्धांत।

26. हम उपरोक्त प्रस्ताव से इस हद तक असहमत नहीं हैं कि एक राशि को पूंजी रसीद के रूप में माना जा सकता है, जबकि उतनी ही राशि राजस्व व्यय के रूप में खर्च की जा सकती है। सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में ऐसा है।

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्याज आय सीधे पूंजी राशि के रूप में प्राप्त नहीं होती है। यह वास्तव में पूंजी प्राप्तियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है जब निधि बेकार पड़ी होती है, हालांकि इस तरह से उत्पन्न आय को उसी उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है जिसके लिए अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई थी, यानी अनुदान का वितरण और ऋणों की अग्रिमता। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने ऋण और अनुदान दोनों पर विचार किया है, लेकिन तैयार किए गए संदर्भों का प्रश्न, और जो हमारे सामने स्वीकार की गई स्थिति है, वह यह है कि विवाद केवल अनुदान से संबंधित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला नहीं था कि ऋण के रूप में अग्रिम राशि, जो ब्याज के साथ देय है, को राशि के निवेश से उत्पन्न व्यावसायिक आय के विरुद्ध व्यय के रूप में समायोजित किया जा सकता है और

फलस्वरूप उसी पर ब्याज अर्जित करना। यह तर्क इस तर्क पर आधारित था कि चूंकि उत्पन्न ब्याज को व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है, इसलिए जो अनुदान दिया जाता है, वह कभी वापस नहीं आता है।

6 (ऊपर)

7 (ऊपर)

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

उसी के खिलाफ खर्च के रूप में समायोज्य। वास्तव में, जिस हद तक अनुदान वापस किए गए थे, सी. आई. टी. (ए) ने पूरी कटौती की अनुमति नहीं दी, जैसा कि दावा किया गया था, लेकिन केवल उस राशि के लिए ऐसा किया जो अनुदान के रूप में वितरित की गई थी और कभी वापस नहीं की गई थी।

28. उपरोक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिए, उसी उद्देश्य के लिए विज्ञापन देना उचित होगा जिसके लिए सांविधिक अपीलार्थी-निगम की स्थापना की गई है। यह इस संदर्भ में है कि हमने अपीलार्थी-निगम के कार्यों को इसके ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किया है, अर्थात, सहकारी वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम ऋण या सब्सिडी प्रदान करना।

समाज आदि। ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं है जिसे अपीलार्थी-निगम करता है और न ही वह किसी अन्य व्यवसाय से अपना कोई धन उत्पन्न करता है। एक मायने में भूमिका केंद्र सरकार से धन प्राप्त करने और उचित रूप से ऋण के रूप में आगे बढ़ाने तक सीमित है।

अनुदान या अनुदान। एक बड़े कैनवास में अपीलार्थी-निगम इनके लाभ के लिए वित्तीय कार्यक्रमों की योजना बनाता है, बढ़ावा देता है और बनाता है।

समितियाँ और अन्य संस्थाएं जिन्हें ऐसे ऋण, अनुदान और अनुदान दिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारों, सहकारी समितियों आदि की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार के इरादे को आगे बढ़ाना वास्तव में वित्तीय क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले मध्यस्थ के रूप में है।

चूंकि यह व्यावसायिक गतिविधि है, इसलिए इसने हमें यह विचार रखने के लिए प्रेरित किया है कि अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज के रूप में उत्पन्न आय व्यावसायिक आय की प्रकृति में है। उद्देश्य पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक हैं और अनुदान सहित प्राप्त राशि एक पूर्व शर्त के साथ आती है कि प्राप्त धन को निचले स्तर की संस्थाओं को दिया जाए। यही कारण है कि उन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना गया है। हालाँकि, हम यह राय देने में असमर्थ हैं कि चूंकि यह एक वैधानिक दायित्व के आधार पर एक पास-थ्रू इकाई है, इसलिए ऋण और अनुदान की अग्रिमता एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, जबकि वास्तव में यह एकमात्र व्यावसायिक गतिविधि है। एक बार जब यह व्यावसायिक गतिविधि होती है, तो अप्रयुक्त पूंजी पर उत्पन्न ब्याज को हम व्यावसायिक आय मानते हैं।

29. हम राजस्व विभाग के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि केवल इसलिए कि प्राप्त ब्याज आय सामान्य निधि में धन के साथ विलय हो गई है, यह अपने राजस्व चरित्र को खो देती है और एक पूंजी रसीद बन जाती है। यह तर्क उस स्थिति के साथ असंगत है जहां ब्याज का पैसा प्राप्त होता है, इसे राजस्व चरित्र का माना जाता है, और 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के लिए प्रभार्य है। एक ही निधि में रखी यह राशि पूंजी रसीद के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्याज [2020] 13 एस. सी. आर. रहा है।

राजस्व रसीद के रूप में माना जाता है जिस पर करों का भुगतान किया जाता है, इसे राजस्व रसीद के रूप को बनाए रखना चाहिए। यदि रसीद की प्रकृति को पूंजी रसीद के रूप में माना जाता है तो उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, राशि पर कोई कर देय नहीं होता। परिणाम यह है कि व्यवसाय के संबंध में किए गए सभी खर्च कटौती योग्य हैं।

30. कानूनी स्थिति, जो उभरती है, वह यह है कि यदि कोई निर्धारिती व्यवसाय करता है, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई परिव्यय 'व्यवसाय के उद्देश्य के लिए व्यय' है जैसा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) में उपयोग किया गया है। प्रावधान इस प्रकार हैः

" 37. जनरल। - (1) व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किया गया कोई भी व्यय (जो धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और जो पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का नहीं है), "व्यवसाय या व्यवसाय के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में अनुमत किया जाएगा। पेशा "। ,

अनुदान के वितरण को पहले से ही अपीलार्थी-निगम का मुख्य व्यवसाय माना गया है। एक बार उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद, व्यवसाय के दौरान और व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया खर्च स्वाभाविक रूप से आई. टी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत एक स्वीकार्य कटौती होगी। जिस धन स्रोत से खर्च किया जाता है, वह प्रासंगिक नहीं है। यह भी वास्तव में प्रासंगिक नहीं है कि क्या

व्यय कोष निधि से या अपीलार्थी-निगम द्वारा अर्जित ब्याज आय से किया जाता है।

31. हम प्रत्यर्थी के इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि भुगतान केवल आय का एक अनुप्रयोग है, जो नहीं है

खर्च के बराबर। गैर-वापसी योग्य अनुदान का संवितरण अपीलार्थी-निगम के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है जैसा कि एन. सी. डी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत विचार किया गया है और इस प्रकार, इसके उद्देश्य के लिए है -

व्यवसाय। उद्देश्य प्रत्यक्ष है; केवल इसलिए कि अनुदान किसी तीसरे पक्ष को लाभान्वित करता है, यह संवितरण को 'आय के अनुप्रयोग' के रूप में नहीं देगा न कि व्यय के रूप में।

32. उपरोक्त दृष्टिकोण के समर्थन में, हम सी. आई. टी. केरल, एर्नाकुलम बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा कर सकते हैं। त्रावणकोर चीनी और

केमिकल्स लिमिटेड, जिसने इस मुद्दे की जांच करने का अवसर दिया कि क्या सरकार को दिए गए दायित्व का निर्वहन लागू था

8 (1973) 3 एस. सी. सी. 274 (विशेष रूप से पैरा 23)

राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

कर योग्य ब्याज आय से स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता है। यह एक तथ्य का प्रश्न। प्रत्यर्थियों की याचिका शुद्ध अनुमान पर आधारित है। यह अपीलार्थी-निगम का मामला है कि यह आसानी से इसके माध्यम से अर्जित ब्याज के प्रत्यक्ष और निकटवर्ती संबंध को प्रदर्शित कर सकता है।

अनुदान दिए गए, क्योंकि इसके खातों का विधिवत लेखा-परीक्षण किया गया था। वास्तव में, सी. आई. टी. (ए) ने अनुमति दी

तुलनपत्र से सामने आए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर केवल एक निश्चित राशि तक का व्यावसायिक व्यय। यह एक बोझ है जिसका निर्वहन अपीलार्थी द्वारा किया जाना था-निगम और सी. आई. टी. (ए) को दिए गए अनुदानों के संवितरण के साथ ब्याज आय के गठजोड़ से संतुष्ट किया गया था, जैसा कि स्थापित किया गया था।

35. हम प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए एक अन्य सिद्धांत पर भी ध्यान दे सकते हैं, अर्थात, शीर्षक को ओवरराइड करके मोड़ना। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्धारित किया गया था

सीतलदास तीरथदास मामला और तब से इस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। यदि निर्धारिती द्वारा रखे गए कोष से उत्पन्न आय का कोई हिस्सा किसी अनुबंध द्वारा या कानून द्वारा या अपनी इच्छा से या देश की कानून द्वारा निर्धारिती पर लगाए गए दायित्व से उत्पन्न होने वाले कुछ आवर्ती व्यय को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए उपभोग किया जाता है और यदि इससे पहले की आय निर्धारिती के हाथों में पहले से ही एक उच्च शीर्षक द्वारा डायवर्ट की जाती है -

पारित या पारित किए जाने योग्य अंश निर्धारिती की आय नहीं है। परीक्षण, इस प्रकार, आय के अनुप्रयोग के लिए क्या राशि है और क्या है

9 (ऊपर)

10 (ऊपर)

शीर्षक को ओवरराइड करके डायवर्जन। एक अर्थ में यह सिद्धांत तब लागू होगा जब अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या अन्य बाध्यकारी निर्देश संस्थान को अनुदान के वितरण पर ब्याज आय खर्च करने के लिए बाध्य करते हैं।

36. अपीलार्थी-निगम ने सहकारी समितियों के संस्थागत विकास के लिए अपनी प्रणाली की मंजूरी/वितरण की प्रक्रिया तैयार की है। द. अपीलार्थी-निगम वास्तव में राज्य के प्रयासों की पूर्ति करता है।

सरकारें। इस प्रकार, राज्य सरकारें अपीलार्थी-निगम को एक निर्धारित व्यवस्थित प्रारूप में अलग-अलग समितियों/परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश करती हैं और यह कि समिति निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण का भी लाभ उठा सकती है। इसके बाद औपचारिक मंजूरी राज्य सरकार या सोसायटी को दी जाती है और धन जारी करना कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करता है और गैर-प्रतिपूर्ति के आधार पर होता है। भाग

धन का एक हिस्सा समय-समय पर अलग-अलग ब्याज दरों के साथ 3 से 8 साल की अवधि के ऋण के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अनुदानों पर लागू होता है, जो स्वाभाविक रूप से वापस नहीं किए जाते हैं। इस कार्यप्रणाली को अपीलार्थी-निगम के रुख के रूप में भी निर्धारित किया गया है जैसा कि मूल्यांकन आदेश के पैरा 5 में निहित है।

37. एन. सी. डी. सी. अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि अनुदान प्राप्तकर्ता कौन होना चाहिए; दी जाने वाली राशि क्या होनी चाहिए। केवल यह निर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी-निगम का कार्य ऋण या अनुदान प्रदान करना है।

उस घोषित वस्तु के लिए जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अनुदान किसे मिलना चाहिए, इस संबंध में निर्णय अपीलार्थी-निगम द्वारा सीधे अपने व्यवसाय के दौरान और उसके उद्देश्य के लिए लिया जाता है। इस प्रकार, दिए जाने के लिए सहमत राशि ऋण या अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए, या दोनों पूरी तरह से अपीलार्थी-निगम के व्यावसायिक विवेक पर है। किसी भी अनुदानकर्ता के पास निधियों से बेहतर अधिकार नहीं होता है। इसलिए, यह स्वामित्व को ओवरराइड करके आय के डायवर्जन का मामला नहीं है। 38. हम यहां लिख सकते हैं कि आय का निर्धारण वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक भेद है

वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांतों पर निर्धारित 'वास्तविक लाभ' के बीच। पूना विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड के मामले में v. सी. आई. टी. बॉम्बे सिटी 1 1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर वास्तविक आय पर है। व्यवसाय के मामले में, लाभ सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्राप्त किया जाना चाहिए। आई. टी. अधिनियम की योजना की आवश्यकता है - लेखांकन के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर 'वास्तविक आय' का निर्धारण। 'वास्तविक आय' निर्धारित करने के लिए, अनुमेय

1 1 (1965) 3 एस. सी. आर. 818 राष्ट्रीय सहकारी-सक्रिय विकास निगम

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

खर्चों को कम करना पड़ता है। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से सी. आई. टी., गुजरात बनाम में निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। एस. सी. कोठारी 1 2 जहाँ

निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया गया थाः

" 6. ..... कर संग्रहकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह सकल प्राप्तियों को कर में लाएगा। वह केवल किसी व्यापार या व्यवसाय के लाभ पर कर लगा सकता है। यह व्यवसाय के नुकसान और वैध खर्चों में कटौती किए बिना नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, वास्तविक लाभ का पता लगाने के लिए की गई कटौती और उसके बाद लाभ से किए गए वितरण के बीच एक स्पष्ट अंतर है। वितरण आय का अनुप्रयोग होगा। वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निर्धारित वास्तविक लाभ और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक क़ानून द्वारा निर्धारित लाभ के बीच भी अंतर है। आयकर वास्तविक आय पर एक कर है।

39. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि भले ही अपीलार्थी-निगम के अपने विचार में पिछले वर्षों के लिए, उसने कभी भी ऐसे किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया, लेकिन यह निश्चित रूप से अपीलार्थी-निगम के अधिकार को बाधित नहीं करता है क्योंकि उन्होंने बाद की तारीख में गलती का मामला बनाने की कोशिश की थी।

40. हम एक अन्य वैधानिक विकास पर भी ध्यान दे सकते हैं। 2003 के वित्त अधिनियम ने आई. टी. अधिनियम की धारा 36 में उपखंड के रूप में एक प्रावधान जोड़ा। (1) (xii) निम्नलिखित शब्दों में:

(xii) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा किया गया कोई भी व्यय (जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं है), चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, यदि -
(क) इसका गठन या स्थापना किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय द्वारा की जाती है।

अधिनियम;

(ख) ऐसा निगम या निगमित निकाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस खंड के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है; और

12 (1972) 4 एससीसी 402 [2020] 13 एस. सी. आर.

(ग) व्यय उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत जिसके तहत इसका गठन या स्थापना की गई है;

XXX "

41. के संदर्भ में संशोधन की सराहना की जानी चाहिए

विभागीय परिपत्र सं. 7/2003 दिनांक 5.9.2003, जो किसी भी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय के लिए कटौती का प्रावधान करता है। संसद के एक अधिनियम के तहत बनाई गई संस्थाओं का मूल उद्देश्य और कार्य होता है

उक्त अधिनियमों में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ। वित्त अधिनियम, 2001 और वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित कुछ निकायों की कर छूट को वापस ले लिया गया था। कर कवच को हटाने के बाद, इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा की जा रही कुछ गतिविधियों को लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, उन्हें व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ऐसी विकासात्मक गतिविधियों पर किए गए खर्च को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है जब आय की गणना 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत की जाती है।

42. इस प्रकार वित्त अधिनियम, 2003 में एक नया खंड जोड़ा गया है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कोई व्यय पूंजीगत व्यय नहीं है। केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित किसी भी नाम से किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा ऐसे अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, जिसके तहत ऐसे

निगम या निगमित निकाय का गठन या स्थापना की गई थी,

'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। अधिनियम में संशोधन 1.4.2002 से लागू किया गया था। 1 13

43. इस प्रकार, सवाल यह उठता है कि क्या इस संशोधन से पहले

ऐसे व्यय प्रचलित कर व्यवस्था के तहत ऐसे अधिकारों के लिए स्वीकार्य नहीं थे जिन्हें कर से छूट नहीं थी। संशोधन से पहले के वर्षों में, जैसा कि हम ए. वाई. 1976-77 के बारे में बात कर रहे हैं, कर न्यायशास्त्र कर योग्य आय निर्धारित करने के लिए वाणिज्यिक लेखा के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुआ है। इस प्रकार, इस उपखंड को शामिल करने से पहले, ऐसे खर्चों की अनुमति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सामान्य धारा 37 (1) के तहत दी जाएगी, जो वाणिज्यिक लेखा के सिद्धांतों पर अनुमेय खर्चों की कटौती का प्रावधान करती है। पोस्ट

13 चतुर्वेदी और पिथिसरिया का आयकर कानून, खंड 3, छठा संस्करण (2014), पृष्ठ।

3310 , लेक्सिसनेक्सिस नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रकाशित

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

संशोधन, ऐसे खर्चों को विशिष्ट धारा के तहत अनुमति दी जाती है, अर्थात।

वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधन के बाद धारा 36 (1) (xii)।

44. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि हम ए. ओ., आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ हैं।

विभिन्न कारणों से और पहले बताए गए कारणों के लिए सी. आई. टी. (ए) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। इस प्रकार, यह इस न्यायालय पर छोड़ दिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वह अंतिम प्रहार करे और पक्षकारों को छोड़कर अपीलों की अनुमति दे।

अत्यधिक समय बीतने और निर्णय लेने में न्यायिक समय की बर्बादी को अफसोस के साथ देखते हुए अपनी लागत खुद वहन करने के लिए, कौन मुख्य रूप से सही है जब किसी भी स्थिति में इससे केंद्र को लाभ होता है।

सरकार।

पोस्टस्क्रिप्ट 1:

1. भारतीय कानूनी प्रणाली एक बड़े विस्फोट की चपेट में है। सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरण इसके लिए सक्रिय योगदानकर्ता हैं।

जलप्रलय। इसके शीर्ष पर, सरकार और उसके निकायों के बीच कई मुकदमे उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार, एकमात्र प्रश्न, जैसा कि शुरुआत में कहा गया है, हैः

सरकार के किस हिस्से को लाभ होगा?

2. उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में आदेश पारित करने के साथ एक न्यायिक नवाचार हुआ और

एन. आर. वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों को सरकार द्वारा नियुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि ऐसे विवादों का समाधान किया जा सके और इस समिति की मंजूरी के बिना कोई मामला दायर नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रणाली एक विफलता थी जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट है, जहां अपीलकर्ता निगम द्वारा दायर एस. एल. पी. को शुरू में खारिज कर दिया गया था और इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, यदि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ऐसी अनुमति दी थी जो 14.08.2009 पर आयोजित एक बैठक में दी गई थी। उक्त समिति ने कानूनी प्रभावों पर चर्चा की, और किसी तरह से अपीलार्थी-निगम के पक्ष में राय दी, जैसा कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है।

लेकिन गेंद को एक समाधान पर पहुंचने के बजाय उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए फिर से कोर्ट में फेंक दिया गया। परिणाम केवल अपील का पुनरुद्धार था, और परिणामी निर्णय जिसने अभी दिन की रोशनी देखी है।

1 4 1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 541 [2020] 13 एस. सी. आर.

3. प्रणाली की उपरोक्त विफलता के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ओ. एन. जी. सी. मामलों में अपने आदेशों को वापस ले लिया

भारतीय निगम बनाम। भारत संघ। 1 5

4. केंद्र सरकार और राज्य के अधिकारी बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्होंने एक मुकदमेबाजी नीति विकसित की है। हमारा

अनुभव यह है कि यह उल्लंघन में अधिक देखा जाता है। यह दृष्टिकोण इस न्यायालय के समक्ष हर चीज को उच्चतम स्तर पर लाने का है, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई जिम्मेदारी न हो-एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ पैदा करती है। यह पहलू

भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के एक फैसले में भी टिप्पणी की गई है। वी. पिरथवी सिंह और अन्य। , 16 यद्यपि सरकार और निजी पक्षों के बीच, जहां कानून के प्रश्न का निपटारा किया गया था और फिर भी अपील केवल बर्खास्तगी आमंत्रित करने के लिए दायर की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बर्खास्तगी के लिए एक प्रमाण पत्र सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त किया जाता है ताकि सरकारी विभागों में मामले को शांत किया जा सके। निस्संदेह, यह न्यायिक समय की पूरी तरह से बर्बादी है और विभिन्न मामलों में इस न्यायालय के आदेशों को "प्रमाणपत्र मामलों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल बर्खास्तगी का यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है।

5. 'सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की मुकदमेबाजी नीति और रणनीतियाँ' शीर्षक से भारत के 126 वें विधि आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई

सरकार बनाम सरकारी मामले जो न्यायालयों के समय के साथ-साथ सरकारी खजाने पर भी भारी पड़ते थे। यह 1988 की बात है। वर्ष 2010 में ही मुकदमेबाजी को कम करने और सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार वादी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुकदमा नीति (संक्षेप में 'एनएलपी') तैयार की गई थी। पाँच (5) साल बाद कथित तौर पर इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एक संशोधन देखा गया, लेकिन इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। वर्ष 2018 में, केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक समाधान को मजबूत करने की दिशा में अपनी मंजूरी दी।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (संक्षेप में 'सी. पी. एस. ई.')/बंदरगाह न्यासों के साथ-साथ सी. पी. एस. ई. और अन्य सरकारी विभागों/संगठनों के बीच विवाद। इसका उद्देश्य इस तरह के विवादों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार के भीतर एक तंत्र स्थापित करना था और है, हालांकि इसमें रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को शामिल नहीं किया गया है। अब इसे कराधान मामलों से संबंधित विवादों के अलावा अन्य सभी विवादों पर लागू कर दिया गया है। यह आय आयुक्त में पारित एक आदेश के अनुसार था। 15 5 (2011) 332 आई. टी. आर. 58 (एस. सी.) 16 (2018) 16 एस. सी. सी. 363 राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

कर (छूट) v. भारत का राष्ट्रीय हित विनिमय "एक पीठ द्वारा जिसका हम में से एक (संजय किशन कौल, जे.) हिस्सा थे।

6. जहां तक गैर-कराधान मामलों का संबंध है, सीपीएसईएस विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र था

मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी को बदलने और विवादों को हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समानता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई। इसमें एक

7. पहले स्तर पर, वाणिज्यिक विवादों को प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों वाली समिति को भेजा जाएगा। जिन विभागों से विवाद करने वाले पक्ष संबंधित हैं और सचिव, कानूनी मामले विभाग। यदि दोनों विवादित पक्ष एक ही मंत्रालय/विभाग से संबंधित हैं, तो समिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव शामिल होंगे।

कानूनी कार्य विभाग और सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग। यदि सी. पी. एस. ई. और राज्य सरकार के विभाग/संगठन के बीच कोई विवाद है, तो समिति में संघ के मंत्रालय विभाग के सचिव, कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव शामिल होंगे। आदर्श रूप से ऐसे विवादों को पहले स्तर पर ही तीन (3) महीने की समय सारिणी के भीतर हल किया जाना चाहिए और यदि वे अनसुलझे रहते हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल को भेजा जा सकता है।

दूसरे स्तर पर सचिव, जिसका निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

8. हमारा मानना है कि इस तरह के प्रस्ताव में मुख्य बाधाओं में से एक, स्पष्ट रूप से, यह है कि नौकरशाह इसके लिए अनिच्छुक हैं।

इस तरह के निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्वीकार करें, इस आशंका के साथ कि भविष्य की किसी तारीख में उनके निर्णय पर सवाल उठाया जा सकता है और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति का होना उचित हो सकता है जो समझौते को अपनी प्राथमिकता दे ताकि ऐसी आशंकाएं किसी समझौते पर पहुंचने के रास्ते में न आएं। यह हमारी पवित्र आशा है कि विवाद समाधान के पहलू पर सौहार्दपूर्ण तरीके से गंभीरता से विचार किया जाएगा, विशेष रूप से कोविड के बाद की अवधि में।

9. अधिकांश देशों में, मध्यस्थता एक प्रभावी उपाय साबित हुई है और यहाँ हम सरकारी अधिकारियों या सरकारी विभागों के बीच मध्यस्थता के बारे में बात कर रहे हैं। भारत अब एक हस्ताक्षरकर्ता है

मध्यस्थता पर सिंगापुर सम्मेलन और हम समझते हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थता को संस्थागत बनाने के लिए एक व्यापक कानून लाने के लिए एक गंभीर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए भारत ने खुद को प्रतिबद्ध किया है।

पोस्टस्क्रिप्ट 2:

10. जहां तक कराधान के मामलों का संबंध है, अब हम सी. पी. एस. ई. और सरकारी प्राधिकरणों से संबंधित मामलों के मुद्दे की ओर रुख करते हैं।

क्योंकि उन्हें लगातार मामलों की एक अलग श्रेणी के रूप में तराशने की मांग की जाती है। मुकदमेबाजी के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक

सरकार कराधान का मामला है। कर विभाग की याचिका दर

उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह 87 प्रतिशत है। तो सवाल यह है कि क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है?

न केवल इस तरह के समाधान को सुविधाजनक बना सकते हैं, बल्कि मुकदमेबाजी के उन स्तरों से भी बच सकते हैं जिनसे ऐसे मामले गुजरते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में है। वास्तव में, इस अग्रिम निर्णय प्रणाली पर आगे चर्चा करने से पहले, हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं कि कम से कम, सी. पी. एस. ई. एस. और सरकारी अधिकारियों के लिए, एक बार अग्रिम निर्णय दिए जाने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं होगा, और यहां तक कि निजी व्यक्तियों के मामले में भी, आगे किसी भी मामले की गुंजाइश नहीं होगी। चुनौती पूरी तरह से कम हो गई है।

12. 1971 में डॉ. के. एन. की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

वांचू, विशेष रूप से विदेशी सहयोग से जुड़े मामलों में अग्रिम निर्णय प्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानते हुए। इसका उद्देश्य करदाताओं या संभावित करदाताओं को अग्रिम निर्णय देना था, जो तब

राजस्व के कार्यभार को काफी कम करता है और विवादों की संख्या को कम करता है। इसके परिणामस्वरूप 1993 में आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'आईटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) में एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ अग्रिम निर्णय की एक योजना लागू की गई। एक अर्ध 18 आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'आर्थिक सर्वेक्षण 2017-19-खंड 1' देखें।

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (संक्षेप में 'एएआर') के रूप में की गई थी ताकि निश्चितता प्रदान की जा सके और गैर-निवासियों से जुड़े लेनदेन के कराधान से संबंधित मुकदमेबाजी से बचा जा सके। जिन लेन-देनों पर ए. ए. आर. से अग्रिम निर्णय की मांग की जा सकती है, उनका दायरा धीरे-धीरे बढ़ गया है और अब इसमें निवासी और गैर-निवासी दोनों शामिल हैं, जो पर्याप्त कर प्रभाव वाले मुद्दों के लिए ऐसा ही कर सकते हैं।

आई. टी. अधिनियम का अध्याय XIX-बी अग्रिम निर्णयों से संबंधित है और इसे आई. टी. अधिनियम की धारा 245 एन (ए) में परिभाषित किया गया है। ये फैसले आयकर विभाग और आवेदक दोनों के लिए बाध्यकारी हैं, और जबकि अपील करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोलंबिया में फैसला सुनाया है।

स्पोर्ट्सवियर कंपनी बनाम। आयकर बैंगलोर के निदेशक ने कहा कि एक अग्रिम फैसले को पहले उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है। सामान्य सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न की स्थिति में अग्रिम निर्णय को उलट दिया जा सकता है।

उत्पन्न होता है या इसी तरह का कोई प्रश्न पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है

13. जमीनी स्तर की स्थिति यह है कि यह कार्यप्रणाली भ्रामक साबित हुई है क्योंकि इसके प्रयोगों की संख्या बढ़ रही है कम निपटान दर के कारण ए. ए. आर. के समक्ष लंबित और इसके विपरीत

यह उम्मीद करते हुए कि एक निर्णय छह (6) महीनों में दिया जाएगा (आई. टी. अधिनियम की धारा 245 आर. (6) के अनुसार), औसत समय लगभग चार (4) वर्षों तक पहुंचने के लिए कहा जाता है! 20 स्पष्ट रूप से मामलों की मात्रा से निपटने के लिए पीठासीन अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की कमी है। दिलचस्प बात यह है कि इसका प्राथमिक कारण बड़ी संख्या में रिक्तियां और AAR.[21] में सदस्यों की नियुक्तियों में देरी है। समय लगने के कारण एएआर का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्र का उपयोग किया जा रहा है।

कभी-कभी जैसा कि लगातार बढ़ते कर संबंधी मुकदमों से स्पष्ट होता है।

14. हम आई. टी. अधिनियम की धारा 245 एन में एक महत्वपूर्ण विकास देख सकते हैं। यह अधिसूचना No.11456 दिनांक 3.8.2000 के माध्यम से था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 'आवेदक' की परिभाषा में जोड़ा गया था, और 2014 में, इसे एक निवासी पर लागू किया गया था जिसने रुपये के मूल्य का एक या अधिक लेनदेन किया था। 100 करोड़ या उससे अधिक।

15. जहाँ तक एक निवासी का संबंध है, सीमा इतनी अधिक है कि यह किसी भी व्यक्ति को कोई सांत्वना नहीं दे सकती है, और हम मानते हैं कि यह है 9 (2012) 11 एस. सी. सी 224 [2020] 13 एस. सी. आर.

20 भारत में अग्रिम निर्णयों पर डेलॉयट की रिपोर्ट देखें। अधिक कर निश्चितता प्रदान करना (डेलॉयट कर नीति पत्र 5,2019)

21 21 आईबीआईडी।

सीलिंग सीमा पर पुनर्विचार करने और उसे कम करने का समय आ गया है, विशेष रूप से हाल की घोषणा के संदर्भ में जिसे कर अनुकूल फेस लेस शासन को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है!

16. हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का उल्लेख कर सकते हैं जहाँ

यह अग्रिम निर्णय तंत्र को अपनाने वाली परिपक्व कर व्यवस्थाओं की ओर एक वृद्धिशील बदलाव है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि निर्णय प्रणाली को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग व्यवस्था के केंद्र में रखती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (संक्षेप में)

बड़ी संख्या में करदाताओं को प्रभावित करने वाले) को राजस्व अधिकारियों पर बाध्य किया जाता है। न्यूजीलैंड एक कदम आगे बढ़ गया है और "स्थिति निर्णयों" को नया रूप दिया है जिसके तहत एक करदाता आयुक्त के पास इस निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है कि कानून में बदलाव मौजूदा निर्णय को कैसे प्रभावित करता है। 17. संयुक्त राज्य अमेरिका में, राजस्व निर्णयों, प्रक्रियाओं और सूचनाओं के रूप में मार्गदर्शन को अधिकृत करने के लिए कोषागार के लिए एक तंत्र है। तंत्र को फिर से, संयुक्त राज्य की अदालतों के बाद के अभ्यास और व्याख्याओं द्वारा मजबूत किया गया है, जहां फैसलों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को दंडित किया जा सकता है यदि वे राजस्व फैसलों, प्रक्रियाओं या नोटिसों में निर्धारित कानूनी व्याख्याओं के साथ असंगत रूप से कार्य करते हैं।

18.कर पारदर्शिता स्वीडिश कानूनी प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता रही है। स्वीडिश कानून पूर्व कर के सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है प्रशासन जैसे कि अग्रिम निर्णय। करदाताओं के साथ-साथ

स्वीडिश कर एजेंसी एक अग्रिम कर निर्णय का अनुरोध कर सकती है, ये निर्णय उस करदाता की पहचान करने वाली जानकारी के बिना प्रकाशित किए जाते हैं जिसने उनसे अनुरोध किया था। स्केटरैट्सनामंडेन, या काउंसिल फॉर एडवांस टैक्स रूलिंग्स स्वीडिश सरकारी एजेंसी है जो इस शक्ति के साथ निहित है।

19. किसी भी उचित रूप से तैयार की गई अग्रिम शासन प्रणाली का उद्देश्य करदाताओं और राजस्व अधिकारियों के बीच बातचीत होनी चाहिए ताकि नियमों को पूरा किया जा सके। कर अनुपालन को बढ़ावा देने और कर मनोबल को बढ़ाने के लिए करदाताओं और राजस्व अधिकारियों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी उद्देश्य। यह तंत्र मुकदमेबाजी प्रक्रिया में एक और चरण नहीं बनना चाहिए।

राष्ट्रीय सहकारी-परिचालन विकास निगम

वी. आय कर आयुक्त, [संजय किशन कौल, जे.]

21. हम लगातार बढ़ रहे बैकब्रेकिंग डॉकेट के कारण और एक कदम के रूप में दो पोस्टस्क्रिप्ट लिखने के लिए राजी हुए हैं। कर विभाग और निर्धारिती के बीच एक न्यास की ओर, और हम

आशा है कि दोनों पहलुओं पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।

22. अंत में अलग होने से पहले हम कानूनी किंवदंती श्री नानी ए. पालखीवाला का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने बधाई के एक पत्र को संबोधित करते हुए

श्री सोली जे. सोराबजी ने आई. डी. 1 पर महान्यायवादी के रूप में अपनी नियुक्ति प्राप्त करने पर महान्यायवादी के सबसे बड़े गौरव का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार के लिए मामले जीतने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के साथ न्याय किया जाए। इस ओर से, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्याय विभाग के आदर्श वाक्य का उल्लेख करते हैं जिसे अटॉर्नी जनरल कार्यालय के रोटुंडा में तराशा गया हैः

" जब भी अदालतों में अपने किसी नागरिक के साथ न्याय किया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपना मामला जीत जाता है। भारतीय नागरिक इस आशा के हकदार हैं कि सरकारी मुकदमेबाजी का उद्देश्य उपरोक्त होना चाहिए, जो समान रूप से प्रबल होना चाहिए।

भारतीय कानूनी प्रणाली के भीतर। मार्टिन लूथर किंग, जूनियर के शब्दों में, "हमें सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी भी अनंत आशा नहीं छोड़नी चाहिए।" 23. इस आदेश की एक प्रति राजस्व विभाग, व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग को भेजी जाए।

वित्त मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय को।

अपीलों

का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे